5 रु. Rs.5
भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE

129

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध प्र0क0 9013- एक/2017 जिला – जबलपुर

रामजी उईके पिता डोरीलाल उईके
निवासी ग्राम दूल्हाखेड़ा पोस्ट बिजौरी,
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

------ आवेदक

विरूद्ध

1 श्रीमती सविता राय
पति श्री लखनलाल राय
निवासी ग्राम जमुनिया तहसील शहपुरा
जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

---- अनावेदकगण

दिनांक 6-1-17 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत

06/01/17

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 2365–एक/16 में पारित आदेश दिनाक 22–7–16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त कमांक 3 में वृद्धि बावत)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी कमांक **2365–एक/16** में दिनांक 22–7–16 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है ।

2. यहकि, आदेश की शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।

3. यहकि, आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष माननीय न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर विकयपत्र पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुआ किंतु उप पजीयक द्वारा इस आधार पर विकयपत्र का पंजीयन नहीं किया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष द्वारा उन्हे यह निर्देश दिये गए है कि बाजार मूल्य का दुगुना राशि अदा करने पर विकयपत्र का

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध 9013-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-1-17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव गौतम उपस्थित । उभयपक्षों के तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2365-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 22-7-16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुए परंतु उप पंजीयक द्वारा कहा गया कि क्रेता द्वारा बाजार मूल्य की राशि की दुगनी राशि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । उनके द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा दोगुनी राशि देने में असमर्थता व्यक्त की गई है । उक्त कारण से इस न्यायालय द्वारा निर्धारित 4 माह की समयावधि में विक्रयपत्र का निष्पादन नहीं कराया जा सका है और उक्त अवधि दिनांक 22-7-16 को समाप्त हो गई है । उनके द्वारा यह बताया गया कि पूर्व में प्रस्तावित क्रेता द्वारा असमर्थता व्यक्त करने के कारण आवेदक अब उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति श्रीमती सविता राय अनावेदक क्रमांक 1 को भूमि विक्रय करना चाहता है श्रीमती सविता राय भूमि क्रय करने हेतु सहमत हैं, इस संबंध में उनके द्वारा सविता राय के मध्य हुए अनुबंध तथा उनका शपथपत्र प्रस्तुत किया है । उक्त आधार पर आवेदक अधिवक्ता अर्पित राय के स्थान पर अनावेदक क्रमांक 1 श्रीमती सविता राय को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने एवं 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक को इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 2365-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 20-7-16 के अनुक्रम में आवेदक को आवेदित भूमि को अर्पित राय के स्थान पर श्रीमती सविता राय पत्नि लखनलाल राय गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति दी जाती है तथा में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 3 माह और बढ़ाया जाता है । प्रकरण तद्नुसार निराकृत किया जाता है । सदस्य	